संख्या–1578 / 41–2008–4(सा0) / 2008

प्रेषक,

राम गोपाल मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊः दिनांक 24 जून ,2008

विषयः इनक्रेडेबिल इण्डिया, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना प्रदेश में लागू करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर शासनादेश संख्या–1007 / 41–2008–4(सा0) / 2008 दिनांक 08 मई 2008 की ओर कृपया ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08 मई 2008 के संलग्नक के पृष्ठ–3 पर शीर्षक 'पंजीयन शुल्क' के अन्तर्गत तीसरी लाइन में वाक्य यह धनराशि ड्राफ्ट के रूप में पे एण्ड एकाउण्ट आफिसर, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के नाम जमा करायी जायेगी'। के स्थान पर यह धनराशि चालान द्वारा लेखा शीर्षक–1452–पर्यटन–99–प्रकीर्ण प्राप्तियॉ में जमा करायी जायेगी ' पढ़ा जाय।

अतः शासनादेश संख्या–1007 / 41––2008–4(सा0) / 2008 दिनांक 08 मई 2008 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
ह0 / –
(राम गोपाल मौर्य)
उप सचिव।

पृ0सं0–1578(1) / 41–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, पर्यटन मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त / गृह / आवास एवं शहरी विकास / नगर विकास / संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन / उर्जा / उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
4– महानिदेशक पर्यटन,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5– समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0 / –
(राम गोपाल मौर्य)
उप सचिव ।

संख्या–1007 / 41–2008–4(सा0) / 2008

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊःदिनांकः 08 मई ,2008

विषयः 'इनक्रेडेबिल इण्डिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना, प्रदेश में लागू करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानगरों एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को आरामदायक, सस्ती एवं सुलभ, स्तरीय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु '' बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना'' के अन्तर्गत 'होम स्टे' सुविधा उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में उपलब्ध कराने एवं योजना के कियान्वयन हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

2– यह योजना प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों / महानगरों में लागू की जा सकेगी ।

3– बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम लागू करने हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। संदर्भ में अपेक्षित है कि कृपया अपने जनपद में स्थित पर्यटक स्थलों में आवासीय सुविधा की अभिवृद्धि हेतु तत्परता से कार्यवाही करते हुये उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित नियमों के अन्तर्गत पंजीयन कराके निदेशक पर्यटन को शीध्रातिशीध्र उपलब्ध करा दे ताकि पंजीकृत इकाईयों का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जा सके ।

4– यह योजना एक अव्यवसायिक योजना मानी जायेगी ।

5– भारत सरकार द्वारा 'इनक्रेडेबिल इण्डिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम' के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त इकाईयॉ, योजना के अन्तर्गत स्वतः अनुमोदित मानी जायेगी ।

संलग्नक–यथोक्त

आज्ञा से,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव ।

संख्या–1007(1) / 41–08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव पर्यटन मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली।

2– औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त उ0प्र0 शासन।

3– निदेशक पर्यटन,उ0प्र0,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया समस्त क्षेत्रीय अधिकारियो को योजना के कियान्वयन करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

4– समस्त मण्डलायुकतों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से इस योजना के कियान्वयन हेतु अनुश्रवण करने का कष्ट करे।

आज्ञा से.

राम गोपाल मौर्य,
उप सचिव ।

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना

दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करने और उनकी यात्रा परेशानी मुक्त करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 'बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम' पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये शुरू की है। यह योजना 'अतिथि देवो भवः' की अवधारणा से प्रेरित है, जिसका अर्थ है अतिथि देवता के समान है। 'बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम' के शुभारंभ के पीछे मूल विचार विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए एक साफ और किफायती आवास प्रदान करना है। विदेशी पर्यटकों को भी एक भारतीय परिवार के साथ रहने उनकी संस्कृति का अनुभव व परंपराओं को समझने और भारतीय व्यंजनों के स्वाद के लिए एक उत्कृष्ट अवसर मिलेगा।

<u>वर्गीकरण</u>

अ. बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना दो श्रेणियों में वर्गीकृत की जायेगी।

1. सिल्वर
2. गोल्ड

<u>बेड और ब्रेकफास्ट योजना के अनुमोदन और पंजीकरण के लिये जाँच सूची</u>

क्र.सं.	विवरण	सिल्वर	गोल्ड	प्रमाणन की स्थापना के सम्बन्ध में सुविधायें (हाँ / नहीं)	क्षेत्रीय समिति वर्गीकरण की टिप्पणियाँ
1.	अच्छी तरह के उपकरणों से सुसज्जित घर और गेस्ट रूम उच्च गुणवत्ता वाली कालीन / क्षेत्रीय कालीन / पत्थर या संगमरमर का फर्श, फर्नीचर, वस्तुएं आदि पारंपरिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुये।	अनिवार्य	अनिवार्य		
2.	सड़क की चौड़ाई के अनुसार पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य		
3.	गेस्ट रूम : कम से कम एक कक्ष और अधिकतम 5 कक्षों (10 बिस्तर) हों। ये सभी कमरे साफ, बिना नमी और साथ	अनिवार्य	अनिवार्य		

	ही बाहरी खिड़की ／हवादार होनी चाहिये।		
4.	प्रत्येक कक्ष के लिये क्षेत्र वर्ग फिट में।	120	200
5.	भारतीय डिजाइन के अच्छी किस्म के आराम दायक बिस्तर।	अनिवार्य	अनिवार्य
6.	प्रत्येक कक्ष के साथ संलग्न निजी स्नानघर एवं प्रसाधन का सामान।	अनिवार्य	अनिवार्य
7.	प्रत्येक स्नानघर न्यूनतम वर्गफुट में।	30	40
8.	शौचालय जिसमें सीट, ढक्कन और शौचालय कागज।	अनिवार्य	अनिवार्य
9.	24 घंटे नल में चलने वाला ठंडा／गरम पानी	अनिवार्य	अनिवार्य
10.	जल बचत नल／शावर सहित	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
11.	अच्छी रसोई जो साफ –सुथरी, कीटाणु रहित हो।	अनिवार्य	अनिवार्य
12.	खाने का स्थान जहाँ पर ताजा या परंपरागत भारतीय नाश्ता मिलता हो।	अनिवार्य	अनिवार्य
13.	चीनी मिट्टी के बर्तन और अच्छी गुणवत्ता वाली छूरी।	अनिवार्य	अनिवार्य
14.	कक्ष का तापमान (वातानुकूलित) 20 से 25 डिग्री सें0 मौसम के अनुसार।	अनिवार्य	अनिवार्य
15.	प्रेस तथा प्रेस बोर्ड माँग के अनुसार।	अनिवार्य	अनिवार्य
16.	इन्टरनेट कनेक्शन	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
17.	अतिथि गृह जिसमें 15 ऐम्पीरियर धारिता का साकेट हो।	अनिवार्य	अनिवार्य
18.	टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
19.	कपड़े की अलमारी जिसमें 4 कपड़ों को टाँगने के लिये हैन्गार हो।	अनिवार्य	अनिवार्य
20.	एक्वागार्ड ／आर.ओ. संयत्र／ खनिज जल की	अनिवार्य	अनिवार्य

	सुविधा।		
21.	अच्छी किस्म की कुर्सी, मेज और अन्य जरूरी फर्नीचर।	अनिवार्य	अनिवार्य
22.	कपड़े धोने व सुखाने वाली मशीन/लाण्ड्री, ड्राई क्लीनिंग की सुविधा।	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
23.	कमरे में रेफ्रीरेजरेटर की सुविधा।	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
24.	बैठने के लिये कमरा या बरामदा जिसमें कुर्सियों की व्यवस्था हो।	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
25.	गर्म और ठंडा करने के संयत्र कमरों में उपलबध।	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
26.	कूड़ा–कचरा फेंकने वाली सुविधाएं म्युनिसिपल कानून के अनुसार	अनिवार्य	अनिवार्य
27.	नकद/चेक/ड्राफ्ट स्वीकार करने की सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य
28.	मेहमानों को मैसेज/कोरियर की सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य
29.	डॉक्टर का नाम, पता, फोन नं0 सहित।	अनिवार्य	अनिवार्य
30.	सामान को रखने की सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य
31.	सामान को लाने ले जाने के लिये व्यक्ति की व्यवस्था। माँग के अनुसार।	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
32.	कमरे में कीमती सामान रखने के लिये तिजोरी/लॉकर की सुविधा।	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
33.	कमरे में धुंआ/आग सूचक की व्यवस्था।	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य नहीं
34.	सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था।	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
35.	यात्री के आने–जाने का रजिस्टर में विवरण। विदेशी पर्यटकों के लिये उनके पासपोर्ट आदि का विवरण ।	अनिवार्य	अनिवार्य

वर्गीकरण समिति इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति व सुविधाओं का आंकलन, इस योजना में परिभाषित सेवा स्तरों के आधार पर करते हुये इकाई को पंजीकरण प्रदान करेगी।

ब. योजना के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयाँ पंजीकरण की तिथि से 2 वर्ष हेतु मान्य होंगी। पंजीकरण समाप्त होने पर विगत पंजीकरण समाप्त की तिथि से 3 माह के अन्दर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

स. योजना के अन्तर्गत ऐसी इकाईयों के पंजीकरण को प्रमुखता दी जायेंगी जो अपनी साज–सज्जा, व्यंजन प्रस्तुतीकरण में विशुद्ध भारतीय परम्पराओं को मौलिक रूप में प्रस्तुत करते हों।

उत्तर प्रदेश में बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना के अन्तर्गत इकाइयों के परिचालन एवं पंजीकरण हेतु यह योजना लागू की जा रही है।

<u>संक्षिप्त नाम तथा विस्तार / प्रारम्भ एवं आवेदन विनियोग –</u>

क. यह योजना, उ0प्र0 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना– 2008, कहलायेगी।

ख. इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

ग. यह योजना तत्काल प्रभावी होगी।

घ. यह योजना अन्य प्रकार की आवासीय सुविधाओं यथा रिसार्ट, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, बोर्डिग –लाजिंग गृहों पर लागू नहीं होगी।

<u>पंजीकरण एवं वर्गीकरण प्रक्रिया –</u>

शर्तें :–

1. कोई भी भवन स्वमी जो अतिथियों को अपने भवन के आवासीय कक्ष उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक हो, योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु इस योजना में वर्णित प्राधिकृत प्राधिकारी को वर्णित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा।
2. इस योजना के अन्तर्गत ऐसी आवासीय इकाइर्यों को पंजीकृत किया जायेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों–
   - अ. आवासीय इकाई पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार सहित उसमें निवास करता हो।
   - ब. भवन स्वामी अपने आवास गृह में दो तिहाई कक्षों से अधिक योजना के अन्तर्गत किराये पर न दे सकेगा। इस प्रकार किराये पर उठाये जाने वाले कक्षों की अधिकतम संख्या 5 दो शैय्या वाले कक्ष तथा न्यूनतम एक दो शैय्या वाला कक्ष होगा।
   - स. प्रत्येक शयन कक्ष के साथ शौचालय सम्बद्ध होना आवश्यक है जो कमोड, पर्याप्त जल तथा विद्युत सुविधा वाला, हवादार, प्रकाशयुक्त तथा अन्य आवश्यक उपकरणों तथा फर्नीचर युक्त होना चाहिये।
   - द. आवासीय इकाई समुचित रूप से साफ–सुथरी, अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों से संरक्षित तथा सुदृढ़ ढंग से निर्मित होनी चाहिये।
   - य. पार्किंग हेतु इकाई में पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिये।
   - र. इकाई पंजीकरण समिति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु संस्तुत होनी चाहिये।
   - ल. अन्य कोई शर्त जिसे समय–समय पर विहित किया जाये।
3. प्राधिकृत अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र अधिकृत समिति को परीक्षण हेतु अग्रसारित करेगा।
4. पंजीकरण समिति आवेदित परिसर के निरीक्षण के उपरान्त यदि कोई कमियाँ हैं तो उन्हें इंगित करेगी। आवेदक को उक्त कमियों का निराकरण उस निश्चित अवधि में करना होगा, जो समिति द्वारा निर्धारित की जाय। समिति के सन्तुष्ट न होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

<u>आवदेन की प्रक्रिया</u>

इस योजना के अन्तर्गत निजी भवन स्वामी द्वारा संलग्न प्रारूप पर आवेदन पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय व निदेशालय में जमा कराये जा सकेंगे।

<u>पंजीयन शुल्क</u>

निजी भवन स्वामी इस आवेदन पत्र के साथ ''सिल्वर श्रेणी'' के अन्तर्गत आवेदन हेतु रू0 1,000/– तथा ''गोल्ड श्रेणी'' के अन्तर्गत रू0 2,000/– पंजीकरण शुल्क जो कि ड्राफ्ट के रूप में **<u>महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0</u>** के नाम जमा करायेंगे।

<u>समिति –</u>

क. क्षेत्रीय वर्गीकरण समिति में निम्न सदस्य होंगे –

1.	जिला अधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण	–	सदस्य
3.	स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी	–	सदस्य
4.	जनपद के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
5.	संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी	–	संयोजक सदस्य

जिलाधिकारी समिति की अध्यक्षता करेगा। नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा हेतु सी.ई.ओ. इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

ख. परीक्षण समिति

1.	जिला अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्थर से निम्न न हो।	–	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी	–	सदस्य
4.	जनपद के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
5.	उ.प्र. होटल एसोशियन द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
6.	संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी	–	संयोजक सदस्य

आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा प्रस्ताव परीक्षण हेतु परीक्षण समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदन हेतु उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों पर ''अधिकृत समिति'' अन्तिम रूप से अनुमोदन प्रदान करेगी।

<u>पंजीयन रद्द किया जाना –</u>

1. पंजीकृत इकाईयों के लिये योजना के विशिष्ट स्तरों को प्रत्येक समय बनाये रखना अनिवार्य होगा। पंजीकृत इकाईयों का किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकेगा तथा रख रखाव उचित स्तर का न पाये जाने अथवा पर्यटकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी समय पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा।
2. यदि भवन स्वामी पर कोई आपराधिक (क्राइम) मामला पाया जाता है तो उसका पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
3. भवन स्वामी द्वारा की गई किसी अनियमता का पता चलता है तो ऐसे भवन स्वामी को साक्ष्य हेतु उपयुक्त अवसर दिया जायेगा तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर तद्नुसार संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक/महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश द्वारा निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
4. भवन स्वामी द्वारा इस योजना में दी जा रही सुविधा में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना तीस दिन के अन्दर संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी को देना होगा अन्यथा समितिद्वारा पंजीयन समाप्त कर दिया जायेगा।

<u>भवन स्वामी पर प्रतिबन्ध</u>

1. भवन स्वामी होटल की भांति आवास में फ्रंट डेस्क (रिशेप्सन काउन्टर) नही लगायेगा तथा घर सामान्य आवास की भांति ही रखेगा।
2. भवन स्वामी किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों यथा– यात्रा पैकेज, ट्रैवेल एजेन्सी, परिवहन सुविधा, हस्त शिल्प अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन इकाई से नहीं करेगा।
3. कोई ऐसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नहीं करेगा जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।
4. इकाई के विषय में भ्रामक, सूचनाएं प्रचलित नहीं करेगा।
5. किसी प्रकार की दलाली में संलिप्त नहीं होगा।
6. नियमानुसार आवासीय दर लागू होंगी।
7. पर्यटकों के आवास की सूचना से भवन स्वामी द्वारा स्थानीय थाने पर तत्काल सूचित करना होगा।
8. आवास करने वाले पर्यटकों की सूची हेतु एक रजिस्टर रखना होगा।

<u>अतिथियों का दायित्व –</u>

1. अतिथि अपने विषय में मांगी गई समुचित सूचनाएँ भवन स्वामी की पंजिका में दर्ज करायेगा।
2. आवासीय इकाई में रहने की अवधि में किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि को नहीं करेगा जो प्रशासनिक/सामाजिक व्यवस्था व साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करें। अपना व्यवहार उत्तम रखेगा तथा गृह स्वामी तथा पड़ोसियों की आवासीय गतिविधियों में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।
3. अपनी रसोई अलग नहीं चलायेगा।
4. भवन में यदि जाने–अनजाने उसके द्वारा कोई टूट–फूट होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगा।
5. वह भवन को स्वच्छ व साफ सुथरा रखने में भवन स्वामी की भरसक मदद करेगा।
6. अतिथि अपने से मिलने आने वाले किसी व्यक्ति को इकाई में रात्रि में रूकने देने हेतु दबाव नहीं बनायेगा।

<u>योजना के अन्तर्गत पंजीकृत भवनों को अनुमन्य लाभ –</u>

1. योजना के अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त करने वाले भवन स्वामी सराय एक्ट अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का पंजीकरण प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त होंगे।
2. इकाई पूर्णतः अव्यवसायिक मानी जायेगी जिसका अभिप्राय होगा कि–
   - अ. जल तथा विद्युत प्रभार घरेलू दरों पर ही देय होगा।
   - ब. किराये पर उठाये जाने वाले आवासीय भाग हेतु भवन कर, आवासीय दर पर ही आगणित होगा।
   - स. भवन सुख साधन कर से भी मुक्त रहेगा।

पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को समय–समय पर गाइड लाइन्स, नियम एवं शर्तों पर परिवर्तन किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा जमा करने के प्रदेश मे स्थित पर्यटन कार्यालय

<u>आगरा</u>

64, ताज रोड,
दूरभाष– 0562–2226431
ई–मेल : agrauptourism@gmail.com
टूरिस्ट रिसेप्शन काउन्टर, कैन्ट, रेलवे स्टेशन
दूरभाष – 0562–2421204

इलाहाबाद
35, एम.जी. रोड,
दूरभाष– 0532–2408873
ई–मेल : rtoalld_upt@yahoo.co.in

बरेली
टूरिस्ट बंगलो कैम्पस, 2–सिविल लाइन्स
दूरभाष– 0581–2511858
ई–मेल : upt.bareilly@gmail.com

फैजाबाद
1–3 / 1524, सिविल लाइन्स
दूरभाष– 05278–223214
ई–मेल : rtofzd@yahoo.com

गोरखपुर
करनाल रोड, सिविल लाइन्स
दूरभाष– 0551–2335450
ई–मेल : singh_pk89@yahoo.co.in
टूरिस्ट रिसेप्शन काउन्टर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन

झाँसी
होटल वीरांगना कैम्पस
दूरभाष– 0510–2441267
ई–मेल : jhansiuptourism@gmail.com
टूरिस्ट रिसेप्शन काउन्टर, झाँसी रेलवे स्टेशन

लखनऊ
पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0
चतुर्थ तल, सी–13, विपिन खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष– 0522–2307028
ई–मेल : bnbuptourism@gmail.com
क्षेत्रीय कार्यालय पर्यटन विभाग
सी–13, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष– 0522–2304870
ई–मेल : rtolko@yahoo.co.in

मेरठ
तृतीय तल, विकास भवन, एम.डी.ए. बिल्डिंग
दूरभाष– 0121–2656164
ई–मेल : tourism_meerut@yahoo.com

वाराणसी
सांस्कृतिक संकुल, अरबन हाट, चौका घाट
दूरभाष– 0542–2505033
ई–मेल : up_tourism_varanasi@yahoo.co.in
टूरिस्ट इनफारमेशन काउन्टर, कैन्ट, रेलवे स्टेशन
दूरभाष – 0542–2506670

उत्तर प्रदेश
अद्भुत विरासत-अनूठे अनुभव
उत्तर प्रदेश पर्यटन

प्रारूप–1

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

1. इकाई का नाम– ....
2. आवेदित श्रेणी– सिल्वर / गोल्ड– ....
3. भवन स्वामी का नाम या अधिकृत संचालक का नाम– ....
4. इकाई का पूरा पता– ....
   (अ) दूरभाष संख्या– .... (ब) फैक्स– ....
   (स) ई–मेल– .... (द) मोबाइल नं0– ....
5. इकाई से दूरी–
   (अ) एयर पोर्ट– ....
   (ब) रेलवे स्टेशन– ....
   (स) सिटी सेन्टर– ....
   (द) निकटतम बाजार– ....
   (य) निकटतम बस अड्डा / बस स्टाप– ....
6. इकाई का विवरण–
   (अ) इकाई निजी स्वामित्व में है अथवा लीज पर है (विक्रय / लीज पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय)
   (ब) क्या भवन का नक्शा तथा उसका भू–उपयोग स्थानीय निकाय से अनुमोदित है। (छाया प्रति संलग्न की जाय)
   (हाँ) (नहीं)
   (स) सड़क की चौड़ाई जिस पर भवन अवस्थित है।– ....
   (द) इकाई अथवा उसके निकट पार्किंग हेतु उपलब्ध स्थान का विवरण– ....
   (य) भू–खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)– ....
   (र) निमित्त भवन का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)– ....
7. इकाई में उपलब्ध कमरे
   (अ) एक शैय्या वाले कक्ष (प्रत्येक के आकार सहित)– ....
   (ब) दो शैय्या वाले कक्ष (प्रत्येक के आकार सहित)– ....
8. योजना के अन्तर्गत किराये पर उठाये जाने हेतु प्रस्तावित शौचालय वाले कक्षों की संख्या
9. निम्नलिखित हेतु उपलब्ध स्थान
   (अ) बैठक स्थल / लाउंज– .... (ब) भोजन कक्ष– ....
10. उपलब्ध अतिरिक्त सुविधायें, यदि हो (आवश्यक नहीं)
    (अ) इको–फ्रेन्डली सुविधायें– ....
    (ब) विकलांगों हेतु उपलब्ध सुविधायें– ....
11. अग्निशमन संयत्रों का विवरण यदि हो–
12. किस प्रकार का भोजन दिया जायेगा–

13. कमरों का किराया–

(अ) एक शैय्या कक्ष– ....

(ब) दो शैय्या कक्ष– ....

14. पंजीकरण शुल्क का विवरण

(अ) ड्राफ्ट का नं0 एवं दिनांक ....

(ब) धनराशि ....

15. संलग्नकों का विवरण

(अ) भवन स्वामी की पृष्ठभूमि पर परिशिष्ठ

(ब) भवन स्वामी के परिवार तथा भवन के अन्य निवासियों का, उनकी आयु, व्यवसाय तथा भवन स्वामी के साथ उनके संबंध का विवरण

(स) इकाई में उपलब्ध सुविधाओं की जाँच सूची ऊपर दर्शायी गयी सूचनाएँ तथा संलग्न अभिलेख जहाँ तक मेरी जानकारी है, के अनुसार सही एवं प्रमाणिक है।

स्थान :

दिनांक : भवन स्वामी का हस्ताक्षर

तथा नाम